

राजस्थान सरकार,
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.6 (III)आ.कृ./सां./WBCIS/20(102)पार्ट-1/2015/3496-3553 दिनांक: 19-2-2016


अध्यक्ष,
राजस्व मंडल, राजस्थान,
अजमेर।

विषय:- राजस्व फसल कटाई प्रयोग रबी 2015-16 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राज्य के 13 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व फसल कटाई प्रयोग रबी 2015-16 जो आयोजित करवाये जा रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 13.1.8 के अनुसार सम्बन्धित बीमा कम्पनियों को फसल कटाई प्रयोग की आवश्यक जानकारी एवं सहयोग देने का प्रावधान है।

श्रीमान उपरोक्त प्रावधानानुसार संबंधित बीमा कम्पनी को सूचना उपलब्ध कराने का श्रम करे।

 भवदीय

(डॉ. नीरज कुमार पवन)


आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कृषि

क्रमांक:-एफ.6 (III)आ.कृ./सां./WBCIS/20(102)/2015/3496-3553 दिनांक: 19-2-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ, प्रतापगढ, पाली, सिरोही, राजसमन्द, टोंक।
2. संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड, जयपुर, भीलवाडा, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, उदयपुर
4. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ, प्रतापगढ, पाली, सिरोही, राजसमन्द, टोंक।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, एच0डी0एफ0सी0-अरगो, 98-सांधी उपासना टॉवर, सी-स्कीम, जयपुर।
6. प्रबन्धक, चौला मण्डलम एम.एस. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी, ई-52, द्वितीय तल चितरंजन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को उनके पत्रांक दिनांक 17.02.2016 के क्रम में।
7. एसोसिएट वाईस प्रिंसिडेन्ट, आई0सी0आई0सी0आई0-लोम्बार्ड, पी.एल.मोटर्स के ऊपर, जयपुर को उनके पत्रांक AAA887682 दिनांक 15.02.2016 के क्रम में।
8. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी, 29 बी, white sappire apperment, ground floor basement, govind marg, adarsh nagar, jaipur

Copy to ACP / PRO


आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कृषि